Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर

शंकरलाल बनाम ठाकरराम आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आरटीए

नं. मुकदमा...60.... /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2020	यद प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। सरिश्ते से रिपोर्ट हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया जावे। वकील प्रार्थीगण की स्थदुआ पर इकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा रोही मनाफरसर तहसील लूनकरनसर के खसरा न0 296 में 8.02 है0, खसरा न0 339 में 1.23 है0, कुल तादादी 09.25 हैक्टेयर बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमे प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थी की तरमीमशुदा अच्छी एवं सुधरी हुई भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। दिनांक 25.07.2020 को प्रार्थी अपने हक व हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था इतने में अप्रार्थीगण संख्या 1 मौके पर आया और धमकी दी कि तुम अपने हक व हिस्से की भूमि को मुझे बेच दो प्रार्थी द्वारा मना करने पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दी। अप्रार्थीगण 1 ता 4 ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने की धमकी के कारण प्रार्थी को अपूर्तणीय क्षति सम्भावित है। क्षतिपूर्ति का कोई विकल्प नहीं है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है प्रभावी स्थगन आदेश आवश्यक है। एक तरफा बहस व शपथपत्रों पर विश्वास करते हुए आगामी तारीख पेशी तक खसरा न0 296 में 8.02 है0, खसरा न0 339 में 1.23 है0, कुल तादादी 09.25 हैक्टेयर भूमि मे से प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करें व रहन आदि नहीं करें। राजस्व रिर्कोड़ की यथास्थिति बनाये रखें।यह स्थगन DILRMP कार्य व भारतमाला प्रोजेक्ट से प्रभावित भूमि के संबध में लागू नहीं होगा। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करे। इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति अप्रार्थीगण को हो तो वे आगामी तारीख पेशी पर स्वयं या अपने वकील के जरिये उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा दिनांक 07.09.2020 को पेश हो। [signature] 28/7/2020	
07/09	पत्रावली प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी ने पहिले वकील प्रार्थना-पत्र [illegible] खारिज करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया प्रार्थी कि तस्दीक वकील प्रार्थी [illegible] गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र [illegible] में खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार कर T.I. प्रार्थना-पत्र पहिले निरस्त खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बरे से कम होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Sha
Date: 2021.07.29 12:29:57 IST
Reason: SelfAttested